अधिकारी का अपने ही राज्य (होम स्टेट) के अलावा अन्य किसी राज्य में तैनात किये जाने का प्रश्न, राष्ट्रीय अखण्डता के संदर्भ में सुसंगत नहीं हो सकता।

Communications received by Minister in Hindi

2965. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of communications received by him in Hindi from various quarters during the period from April to September, 1977;

(b) how many of these communications were acknowledged after a period of one month from the date of their receipt or have not been acknowledged so far and the reasons for delay; and

(c) whether it is also a fact that these communications are required to be translated into English before submission to him and if so, the staff earmarked for the purpose, including their scales of pay and whether the existing arrangements are considered satisfactory?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) About 75 to 80 per cent of the total communications are in Hindi.

(b) Every effort is being made to send acknowledgements to all communications.

(c) No, Sir. Existing arrangements are reviewed periodically and every effort to streamline them are made.

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2966. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कुछ ठोस उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ऐसे उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि संलग्न नोट (विवरण) में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे अभ्युपाय को तीन कार्यक्रमों के अन्दर आते हैं जैसे पिछड़े क्षेत्रों का विकास, ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं और ग्रामीण कारीगर परियोजनाएं। पिछड़ा क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कई प्रोत्साहन जैसे निश्चित निवेश पर 15 प्रतिशत तक की विनियोजन राज सहायता, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती वित्त सहायता, आयकर में छूट, निःशुल्क तकनीकी परामर्श सेवा, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं, परिवहन राज सहायता आदि आते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के 39 जिलों में जो रियायती वित्त पाने के हकदार हैं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये जिले निम्नलिखित हैं :—

अलमोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चमोली देवरिया, एटा, इटावा फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गौंडा, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, देहात, मनीपुर, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टेहरी, गढ़वाल, उन्नाव और उत्तर काशी।